

8/27
2/4/27

सयिका सं० - P/KILEDARI/PRN-1B+G+6/615/2022
(ऑटो मैप सं० - PMC BPAS 01386/2022/BP)

सेवा में,

M/S MAHANAGAR INFRACON PVT. LTD.
DIRECTOR-SMT. BABITA CHURIWAL & OTHERS
W/O-MR. VIKASH CHURIWAL
OFFICE ADD-401, HEM PLAZA, FRAZER ROAD,
PATNA.

विषय :- प्लॉट नं०-261,265,266,267,268,272,275, सी. एस. प्लॉट नं० 1648,1693,1695, खाता नं०-548, शीट नं० 262, थाना नं० 18, मौजा-KILEDARI, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

आपके आवेदन संख्या-P/KILEDARI/PRN-1B+G+6/615/2022 ऑटो मैप आवेदन संख्या- PMC BPAS-01386/2022/BP के संदर्भ में M/S MAHANAGAR INFRACON PVT. LTD., DIRECTOR-SMT. BABITA CHURIWAL & OTHERS, W/O-MR. VIKASH CHURIWAL, OFFICE ADD-401, HEM PLAZA, FRAZER ROAD, PATNA. पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के एम. एस. प्लॉट नं०-261,265,266,267,268,272,275, सी. एस. प्लॉट नं० 1648,1693,1695, खाता नं०-548, शीट नं० 262, थाना नं० 18, मौजा-KILEDARI, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यावसायिक सह आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 2491.97 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.20 मीटर से 12.37 चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रस्तावित भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आवेदक द्वारा सुरंगित आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगम को (Area Left for Master Plan-215.53 वर्ग मीटर) चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) भवन उपविधि के कडिका 09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/चिल्डर की होगी।
Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to five years from the date such a permission is granted.
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उसी मूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अगिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

For MAHANAGAR INFRACON PRIVATE LIMITED

Vishwanath

Director

- (अ) मू स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/डेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विवलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कड़िका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ण) नक्शा स्वीकृति के पश्चात् एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य के समय निर्माण स्थल को ढक कर रखेंगे तथा निर्माण सागरी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर नहीं रखेंगे।

विश्वाराजमजान,




निदेशक,

शहरी योजना,

पटना नगर निगम, पटना।

For MAHANAGAR INFRACON PRIVATE LIMITED



Director